

(144)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

27 OCT 2017

क्रमांक प.18(28)नविवि/ई.ओ.डी.बी./2015पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :- 27 OCT 2017

आदेश

विषय :- भवन मानचित्र अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

राज्य के सभी प्राधिकरणों/न्यायों में ईज ऑफ ड्रॉइंग बिजनेस के अन्तर्गत सिंगल विण्डों क्लियरेन्स सिस्टम के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जावेंगे। ऑनलाईन सिंगल विण्डों क्लियरेन्स सिस्टम का लिंक विभागीय वेबसाइट www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय

(Signature)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
11. सलाहकार (विधि), नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत.....।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(Signature)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

18/10/2017

(361)